झूठ, झांसा और दोहरे चरित्र वाली कांग्रेस हुई बेनकाब

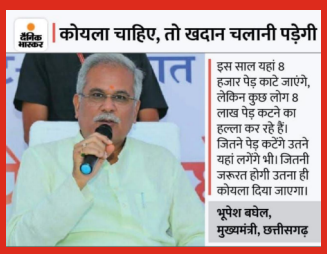

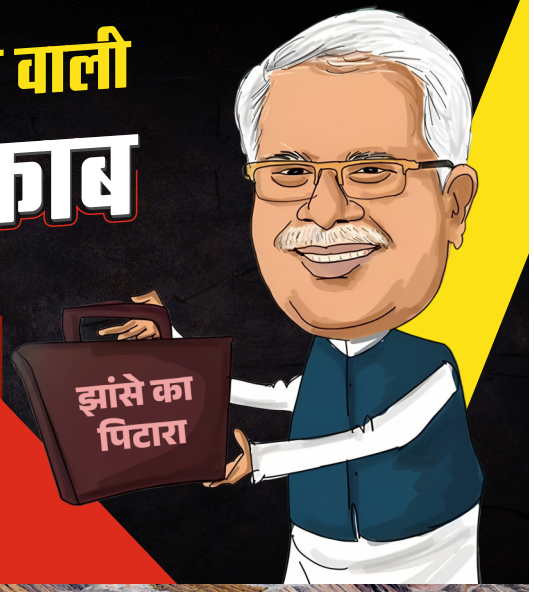

कांग्रेस का दोहरा चरित्र

अडानी को बनाया दो बड़ी खदानों का ऑपरेटर

महाराष्ट्र (महाविकास आघाडी सरकार)
गारे पेलमा सेक्टर-II

राजस्थान (अशोक गहलोत सरकार)
केते एक्टेंशन ब्लॉक

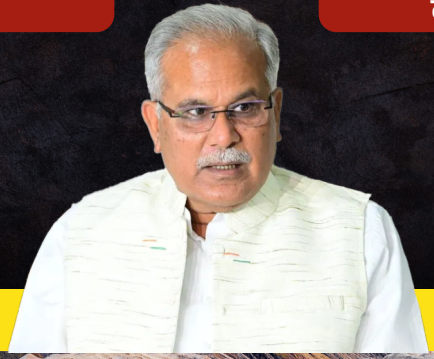

दैनिक भास्कर

कोयला चाहिए, तो खदान चलानी पड़ेगी

इस साल यहां 8 हजार पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग 8 लाख पेड़ कटने का हल्ला कर रहे हैं। जितने पेड़ कटेंगे उतने यहां लगेंगे भी। जितनी जरूरत होगी उतना ही कोयला दिया जाएगा।

भूपेश बघेल,
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

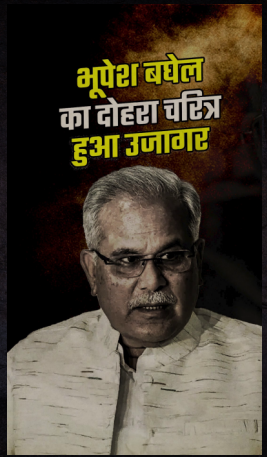

गारे पेलमा में
कॉंग्रेस की करतूत

महाविकासआघाडी
MahavikasAghadi

गारे पेलमा-II : MAHAGENCO एवं अडानी के मध्य

कोल माइनिंग एग्रीमेन्ट 31-03-2021

महाराष्ट्र में तत्कालीन सरकार: उद्धव ठाकरे
(शिवसेना, महा विकास आघाड़ी – यूपीए गठबंधन के साथ)

छत्तीसगढ़ में तत्कालीन सरकार
भूपेश बघेल (कांग्रेस)

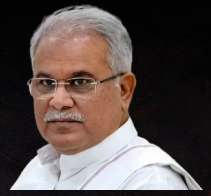

27-09-2019
जनसुनवाई (पर्यावरणीय अनुमति हेतु) राज्य सरकार द्वारा आयोजित
कांग्रेस सरकार

16-10-2019
पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश (MoEF को भेजी गई) राज्य सरकार ने सिफारिश भेजी
कांग्रेस सरकार

19-04-2022
वन स्वीकृति स्टेज-I की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश
कांग्रेस सरकार

23-01-2023
वन स्वीकृति स्टेज-II की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश
कांग्रेस सरकार

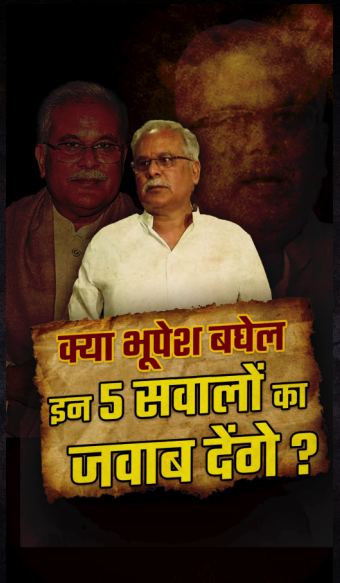
क्या भूपेश बघेल
इन 5 सवालों का
जवाब देंगे ?

महाजेंको मामला : दस्तावेजी प्रमाणों से भूपेश सरकार की संलिप्तता उजागर

रायगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते रोज अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान महाजेंको प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार पर गम्भीर आरोप लगाये थे, लेकिन मीडिया को जो दस्तावेज मिले हैं, उससे स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में कांग्रेस भ्रमित करने का कार्य कर रही है। और महाजेंको प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिलाने में भूपेश सरकार भी बराबर शरीक रही है।

विदित हो कि विगत एक सप्ताह से महाजेंको प्रकरण को लेकर कांग्रेस बेहद मुखर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष दीपक बैज से लेकर जिले स्तर के नेता वन कटाई व उद्योग स्थापना हेतु भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विगत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में कहा था कि उनकी सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है, वरन कोल ब्लॉक आबंटन और उद्योग स्थापना की स्वीकृत हेतु केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मुड़ागांव में उन्होंने 20 से अधिक कांग्रेस विधायकों के साथ एक जंगी सभा की। सभा में कांग्रेस नेताओं ने मीडिया व आम जनता के समक्ष ऐलानिया कहा कि भूपेश सरकार ने जनसुनवाई को रद्द कर दिया था। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को जो पत्र भेजा गया था।

इससे स्पष्ट होता है कि भूपेश बघेल सहित प्रदेश कांग्रेस के नेतागण सरासर भ्रम फैला कर राजनीति कर रहे हैं। इस पत्र क्रमांक 6246 / टीएस/ सीईसीबी / 2019 में यह साफ उल्लेखित है कि 27 सितम्बर 2019 को जनसुनवाई पूर्ण की गयी, जिसमें जनता की ओर से 48 लोगों ने अपना पक्ष रखा तथा जनसुनवाई में सब कुछ नियमानुसार सम्पन्न किया गया। इस प्रतिवेदन में सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल सहित तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी आरके शर्मा और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के रूप में आरए कुरुवंशी ने बाकायदा हस्ताक्षर भी किए हैं।

इसी तरह 28 दिसम्बर 2022 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के कार्यालय से पत्र क्रमांक क्र/भू-प्रबन्ध/खनिज/331-245/3063 जारी किया गया। इसमें तत्कालीन अधिकारी सुनील मिश्रा के हस्ताक्षर से बाकायदा फारेस्ट क्लियरेंस की अनुशंसा की गयी है। इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं के बयानों की पोल खुल गयी है और कांग्रेस के विरुद्ध भाजपा सांसद राधेश्याम राठिया के आरोपों को प्रमाणिकता मिल गयी है।

तमनार के मुड़ागांव वनसंहार के लिए भूपेश सरकार ने दी थी स्वीकृति

अडाणी के लिए पेड़ कटाई और कोल खनन का रास्ता किया था साफ

जनकर्म न्यूज

रायगढ़। मुड़ागांव में वनसंहार देखने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जहां अडाणी ग्रुप पर आरोप लगाकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बातें कही थी। उन्हीं कांग्रेस सरकार ने ही अपने कार्यकाल में सारे पैतमा के इस कोल ब्लॉक के लिए सैकड़ों हेक्टेयर में पेड़ कटाई की अनुमति दी थी। सोशल मीडिया में बीते दो दिनों से यह सरकारी लेटर तेजी से वायरल हो रहा है और भाजपा कांग्रेस समर्थक भी इसका राजनैतिक फायदा उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान महाजेनको प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे लेकिन अब सोशल मीडिया जो दस्तावेज तेजी से वायरल हो रहे हैं। उससे स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में कांग्रेस सफेद झूठ बोल रही है तथा महाजेनको प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिलाने में भूपेश सरकार भी बराबर की भागीदार रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में कहा था कि उनकी सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। बस कोल ब्लॉक आवंटन और उद्योग स्थापना की स्वीकृत हेतु केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मुड़ागांव में उन्होंने बीस से अधिक कांग्रेस विधायकों के साथ एक जंगी सभा की। सभा में कांग्रेस नेताओं ने मीडिया व आम जनता के समक्ष ऐलान किया कि भूपेश सरकार ने

जनसुनवाई को रद्द कर दिया था। जबकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को जो पत्र भेजा गया था। उससे स्पष्ट होता है कि भूपेश बघेल सहित प्रदेश कांग्रेस के नेतागण सरासर झूठ बोल रहे हैं। इस पत्र क्रमांक 6246 / टीएस/ सीईसीबी/2019 में यह साफ उल्लेखित है कि 27 सितम्बर 2019 को जनसुनवाई पूर्ण की गयी।

जिसमें जनता की ओर से 48 लोगों ने अपना पक्ष रखा तथा जनसुनवाई में सब कुछ नियमानुसार संपन्न किया गया। इस प्रतिवेदन में सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल सहित तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी आर के शर्मा व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के रूप में आर ए कुरुवंशी ने बाकायदा हस्ताक्षर किया है। इसी तरह 28 दिसम्बर 2022 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के कार्यालय से पत्र क्रमांक क्र/भू-प्रबन्ध/खनिज/331-245/3063 जारी किया गया। इसमें तत्कालीन अधिकारी सुनील मिश्रा के हस्ताक्षर से बाकायदा फारेस्ट क्लियरेंस की अनुशंसा की गयी है। इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं के बयानों की पोल खुल गयी है।

महाजेंको मामलाः दस्तावेजी प्रमाणों से भूपेश सरकार की लिप्तता हुई उजागर

रायगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते रोज अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान महाजेंको प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार पर गम्भीर आरोप लगाये थे, लेकिन मीडिया को जो दस्तावेज मिले हैं, उससे स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में कांग्रेस सफेद झूठ बोल रही है और महाजेंको प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिलाने में भूपेश सरकार भी बराबर शरीक रही है। विदित हो कि विगत एक सप्ताह से महाजेंको प्रकरण को लेकर कांग्रेस बेहद मुखर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष दीपक बैज से लेकर जिले स्तर के नेता वन कटाई व उद्योग स्थापना के लिए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विगत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में कहा था कि उनकी सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है, वरन् कोल ब्लॉक आबंटन और उद्योग स्थापना की स्वीकृत के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मुड़ागांव में उन्होंने 20 से अधिक कांग्रेस विधायकों के साथ एक जंगी सभा की। सभा में कांग्रेस नेताओं ने मीडिया व आम जनता के समक्ष ऐलानिया कहा कि भूपेश सरकार ने जनसुनवाई को रद्द कर दिया था। जबकि

फाइल फोटो

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को जो पत्र भेजा गया था। इससे स्पष्ट होता है कि नेतागण सरासर झूठ बोल रहे हैं। इस पत्र में यह साफ उल्लेखित है कि 27 सितम्बर 2019 को जनसुनवाई पूर्ण की गयी, जिसमें जनता की ओर से 48 लोगों ने अपना पक्ष रखा तथा जनसुनवाई में सब कुछ नियमानुसार सम्पन्न किया गया। इस प्रतिवेदन में सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल सहित तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी आरके शर्मा और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के रूप में आरए कुरुवंशी ने बाकायदा हस्ताक्षर भी किए हैं। इसी तरह 28 दिसम्बर 2022 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के कार्यालय से पत्र क्रमांक क्र/भू-प्रबन्ध/खनिज/331-245/3063 जारी किया गया। इसमें तत्कालीन अधिकारी सुनील मिश्रा के हस्ताक्षर से बाकायदा फारेस्ट क्लियरेंस की अनुशंसा की गयी है। इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं के बयानों की पोल खुल गयी है और कांग्रेस के विरुद्ध भाजपा सांसद राधेश्याम राठिया के आरोपों को प्रमाणिकता मिल गयी है।

31.03.2021

ओपन कास्ट गारे पेलमा सेक्टर-II, मांड-रायगढ़ कोलफील्ड जिला रायगढ़, (छ.ग.)

(कोयला खदान के विकास एवं माइन डिवेलपर एंड ऑपरेटर (MDO) के संचालन हेतु समझौता)

कांग्रेस सरकार

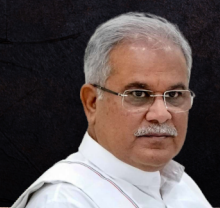

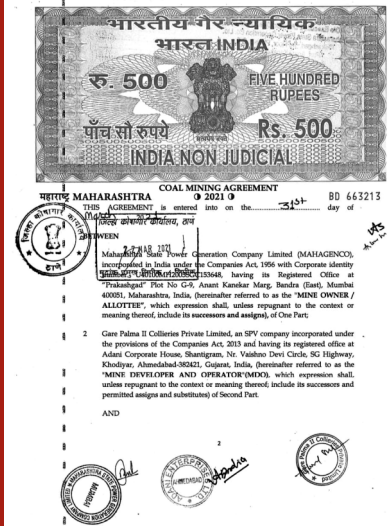

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

COAL MINING AGREEMENT

महाराष्ट्र MAHARASHTRA ◑ 2021 ◑ BD 663213

THIS AGREEMENT is entered into on the.......31st....... day of March 2021

BETWEEN

1 Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO), incorporated in India under the Companies Act, 1956 with Corporate identity number U40100MH2005SGC153648, having its Registered Office at "Prakashgad" Plot No G-9, Anant Kanekar Marg, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra, India, (hereinafter referred to as the **"MINE OWNER / ALLOTTEE"**, which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its **successors and assigns)**, of One Part;

2 Gare Palma II Collieries Private Limited, an SPV company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 and having its registered office at Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishno Devi Circle, SG Highway, Khodiyar, Ahmedabad-382421, Gujarat, India, (hereinafter referred to as the **"MINE DEVELOPER AND OPERATOR"(MDO)**, which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof; include its successors and permitted assigns and substitutes) of Second Part.

AND

2

19.04.2022

वन स्वीकृति की सिफारिश

राज्य सरकार द्वारा स्टेज-1 वन स्वीकृति (Forest Clearance) की सिफारिश की गई।

कांग्रेस सरकार

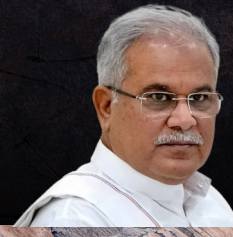

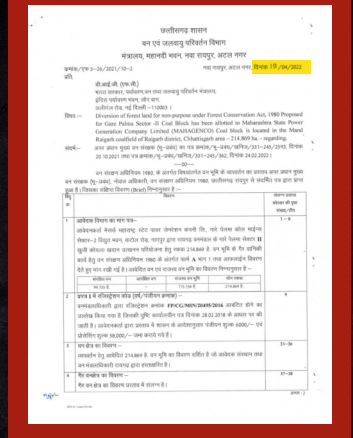

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–26/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19 /04/2022

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग,
अलीगंज रोड, नई दिल्ली –110003 ।

विषय :– Diversion of forest land for non-purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Gare Palma Sector -II Coal Block has been allotted to Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) Coal block is located in the Mand Raigarh coalfield of Raigarh district, Chhattisgarh area – 214.869 ha. - regarding.

संदर्भ:– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–245/2593, दिनांक 20.10.2021 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–245/362, दिनांक 24.02.2022 ।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र– आवेदनकर्ता मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा कोल माईन्स सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड, नागपुर द्वारा रायगढ़ वनमंडल के गारे पेलमा सेक्टर **II** खुली कोयला खदान उत्खनन परियोजना हेतु रकबा 214.869 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म **A** भाग 1 तथा आफलाईन विवरण देते हुए मांग रखी गई है। आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है – संरक्षित वन: 99.735 हे.; आरक्षित वन: –; राजस्व वन भूमि: 115.134 हे.; योग रकबा: 214.869 हे.	1 – 8
2	प्रपत्र **I** में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) – वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/MIN/20495/2016** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 28.02.2018 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 58,000/– जमा कराये गये हैं।	9
3	वन क्षेत्र का विवरण – व्यपवर्तन हेतु आवेदित 214.869 हे. वन भूमि का विवरण दर्शित है जो आवेदक संस्थान तथा वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित है।	31–36
4	गैर वनक्षेत्र का विवरण – गैर वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।	37–38

संरक्षित वन	आरक्षित वन	राजस्व वन भूमि	योग रकबा
99.735 हे.	–	115.134 हे.	214.869 हे.

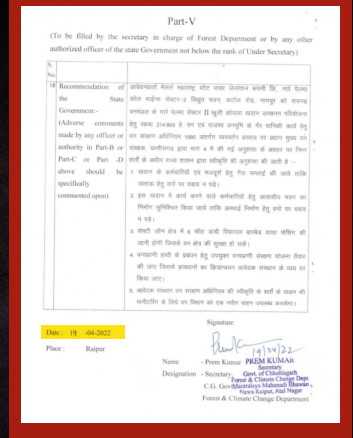

क्रमशः 2

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S. No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	आवेदनकर्ता मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा कोल माईन्स सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड, नागपुर को रायगढ़ वनमंडल के गारे पेलमा सेक्टर II खुली कोयला खदान उत्खनन परियोजना हेतु रकबा 214.869 हे. वन एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग 4 में की गई अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है :– 1. खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु गैस सप्लाई की जाये ताकि जलाऊ हेतु वनों पर दबाव न पड़े। 2. इस खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े। 3. सेफ्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फेंसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके। 4. वन्यप्राणी हाथी के प्रबंधन हेतु उपयुक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार की जाए जिसके प्रावधानों का क्रियान्वयन आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाए। 5. आवेदक संस्थान वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति के शर्तों के पालन की मानीटरिंग के लिये वन विभाग को एक नवीन वाहन उपलब्ध करायेगा।

Date : 19 -04-2022

Place : Raipur

Signature 19/04/22

Name - Prem Kumar

Designation - Secretary, C.G. Govt. Forest & Climate Change Department

PREM KUMAR
Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Dept.
Mantralaya Mahanadi Bhawan
Nawa Raipur, Atal Nagar

23.01.2023

वन स्वीकृति की सिफारिश

राज्य सरकार द्वारा स्टेज-2 वन स्वीकृति (Forest Clearance) की सिफारिश की गई।

कांग्रेस सरकार

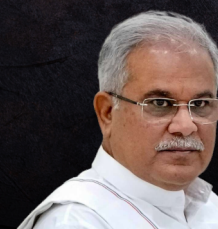

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–26/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /01/2023

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली – 110003।

विषयः– Proposal for non-forestry use of 214.869 ha of forest land in favour of M/s Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) for Gare Pelma Sector-II Opencast Coal Mining Project in the Mand Raigarh Coalfield, in District Raigarh (Chhattisgarh) -reg.

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-60/2022-FC, दिनांक 02.06.2022।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–245/3063, दिनांक 28.12.2022।

******

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 02.06.2022 के माध्यम से सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/– उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 2 दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठांकक्रमांक/एफ 5–26/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /01/2023

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर पूर्व, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3.उपमंडलाधिकारी, रायगढ़ उपमंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़ ।
4.Executive Engineer (Addl.) (Coal), महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा, कोल माईन्स, सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड़, नागपुर –440013।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

25 MARCH 2022

पहले खुद राजस्थान को बांटी माइंस
अब बहा रहे हैं घड़ियाली आंसू

तत्कालीन मुख्यमंत्री (राजस्थान) **अशोक गहलोत** एवं उनकी सरकार द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री **भूपेश बघेल** को भेजे गए पत्र

10.06.2019

Dr. B.D. Kalla
Minister
PHED, GWD, Energy, Art, Literature, Culture & Archaeology Department
Government of Rajasthan

Room No. 2114, First Floor,
Main Building, Govt. Secretariat
Jaipur-302005 (Raj.)
Phone : 0141-2227062 (Office)
E-mail : ministerbdk@gmail.com

DO No.F.12(25)Energy/2004|1526
June 10, 2019

Most Respected Sh. Bhupesh Baghelji,

With the objective to ensure energy security for the State of Rajasthan, Ministry of Coal allocated three coal blocks to Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RVUN) for meeting the coal requirement of its thermal power stations. These coal blocks namely "Parsa East & Kanta Basan (PEKB)", "Parsa" and "Kente Extension" are located in Hasdeo Arand Coalfield, Chhattisgarh.

I have been informed that "PEKB" coal block has achieved peak rated capacity of 15 MTPA and presently fulfills about 75% of the coal requirement of RVUN Power Stations. Presently, the "Parsa" and "Kente Extension" coal blocks are under development phase and require various approvals to start its operations within the stipulated timelines and are essential to ensure fuel security for the State of Rajasthan.

I shall be grateful if you kindly appoint a Nodal Officer to facilitate smooth operations of "PEKB" and expedite the clearances for "Parsa" and "Kente Extension" coal blocks to start their coal mining operations within the stipulated timeline.

With kind regards!

Yours Sincerely,

(B.D. Kalla)

Sh. Bhupesh Baghel
Chief Minister,
Government of Chhattisgarh,
Chhattisgarh

Scanned by CamScanner

15.11.2021

अशोक गहलोत
मुख्य मंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते

8, सिविल लाइन्स, जयपुर-302006
दूरभाष : 0141-2228712-13
फैक्स : 2228705

अ.शा. पत्र क्र. मु.म./कार्या /21/114369
जयपुर, दिनांक 15-11-2021

प्रिय श्री भूपेश बघेल जी,

कृपया मेरे द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ लें। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के उपक्रम "राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड" को विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में कोल ब्लॉक आवंटित किए हैं।

उल्लेखनीय है कि "परसा" कोल ब्लॉक (क्षमता–5 एमटीपीए) का आवंटन हसदेव–अरंद कोलफिल्ड क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुआ। इसकी द्वितीय चरण की वन स्वीकृति (Forest Clearance Stage-II) हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी कर दी गई है। इस सन्दर्भ में दिनांक 02 नवम्बर, 2021 को उपायुक्त सहायक कोयला नियंत्रक द्वारा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की परसा ओपनकास्ट कोयला खदान में सीम IV खोलने की अनुमति प्राप्त हुई है। इस कोल ब्लॉक से खनन कार्य प्रारंभ करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों द्वारा निम्न स्वीकृतियां प्राप्त होना शेष हैं:–

(i) वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा द्वितीय चरण की वन स्वीकृति (Forest Clearance Stage-II)।
(ii) संभागीय वन अधिकारी (DFO), सूरजपुर द्वारा वृक्ष गणना।
(iii) जिलाधिकारी सरगुजा एवं सूरजपुर द्वारा संपत्ति सत्यापन और प्रमाणन।
(iv) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (CECB) द्वारा संचालन हेतु सहमति।

इसके अतिरिक्त "कॅटे एक्सटेंशन" कोल ब्लॉक (क्षमता–9 एमटीपीए) का आवंटन वर्ष 2015 में हुआ। इस कोल ब्लॉक हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवश्यक "जनसुनवाई" जिला अधिकारी, सरगुजा द्वारा दो बार स्थगित की जा चुकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि :–

(i) परसा कोल ब्लॉक हेतु द्वितीय चरण की वन स्वीकृति (Forest Clearance Stage-II) सहित विभिन्न स्वीकृतियां शीघ्र जारी करवाने का श्रम करें।

(ii) "कॅटे एक्सटेंशन" कोल ब्लॉक हेतु आवश्यक जनसुनवाई शीघ्र आयोजित करने के लिए जिला अधिकारी, सरगुजा को निर्देशित करने का श्रम करें।

सद्भावी,

(अशोक गहलोत)

श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

15.02.2022

अशोक गहलोत
मुख्य मंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते

8, सिविल लाइन्स, जयपुर-302006
दूरभाष : 0141-2228712-13
फैक्स : 2228705

अ.शा. पत्र क्र. मु.म./कार्या /22/116470
जयपुर, दिनांक 15-02-2022

प्रिय श्री भूपेश बघेल जी,

मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान परसा ईस्ट एवं कांता बासन कोल ब्लॉक के सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृतियां जारी करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार के उपक्रम "राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम" को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में "परसा ईस्ट एवं कांता बासन" कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। वर्तमान में उत्पादन निगम की 4340 मेगावाट तापीय विद्युतगृहों को कोयले की आपूर्ति इसी कोल ब्लॉक द्वारा हो रही है।

"परसा ईस्ट एवं कांता बासन" (क्षमता – 10 एमटीपीए) कोल ब्लॉक वर्ष 2007 में आवंटित हुआ। आवश्यक स्वीकृतियां मय प्रथम चरण वन भूमि (Phase-I Forest land) 762 हैक्टेयर 15 वर्ष खनन हेतु हस्तांतरण के उपरांत इस कोल ब्लॉक से वर्ष 2013 में खनन प्रारंभ हुआ। तदोपरांत वर्ष 2018 में इस कोल ब्लॉक की क्षमता 10 एमटीपीए से 15 एमटीपीए की गई एवं वर्ष 2018 से पूर्ण क्षमता पर खनन निरंतर जारी है। वर्तमान में इस कोल ब्लॉक के प्रथम चरण 762 हैक्टेयर वनभूमि का अत्यंत अल्प हिस्सा ही खनन योग्य शेष है एवं फरवरी, 2022 उपरांत इस कोल ब्लॉक से कोयला खनन बंद होने की संभावना है। ऐसा होने पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की इस कोल ब्लॉक से जुड़ी हुई 4340 मेगावॉट क्षमता की इकाइयों से विद्युत उत्पादन बंद हो जाएगा एवं राज्य को विकट बिजली संकट से गुजरना पड़ेगा। इस संभावित कोयला संकट सरकार की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

आवश्यकताओं को पूर्व में ही भांपते हुए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 1136 हैक्टेयर द्वितीय चरण वनभूमि (Phase-II Forest land) के हस्तांतरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 24 सितम्बर 2019 को आवेदन किया एवं छत्तीसगढ़ शासन ने सकारात्मक रूख अपनाते हुए पत्र दिनांक 22 फरवरी, 2021 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को इस हेतु अपनी अनुशंषा प्रेषित की। इसी क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 02 फरवरी, 2022 को परसा ईस्ट एवं कांता बासन कोल ब्लॉक की 1136 हैक्टेयर द्वितीय चरण वनभूमि (Phase-II Forest land) पर खनन कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रेषित की जा चुकी है। इस ब्लॉक की उपरोक्त वर्णित वनभूमि से खनन प्रारंभ करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित स्वीकृतियां अविलम्ब प्राप्त होना अपेक्षित है :–

i. 1136 हेक्टेयर द्वितीय चरण वन भूमि (Phase-II Forest land) से खनन हेतु वनभूमि का कब्जा प्रदान करने की स्वीकृति।

2010

कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हसदेव अरण्य को पूरी तरह से 'नो-गो क्षेत्र' घोषित किया गया था

कांग्रेस सरकार

23.06.2011

तारा परसा ईस्ट और कांटे बसन कोल ब्लॉक खोलने का प्रस्ताव

कांग्रेस सरकार

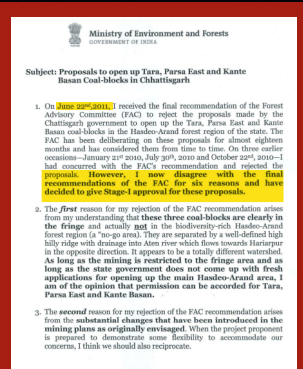

Ministry of Environment and Forests
GOVERNMENT OF INDIA

Subject: Proposals to open up Tara, Parsa East and Kante Basan Coal-blocks in Chhattisgarh

1. On June 22nd,2011, I received the final recommendation of the Forest Advisory Committee (FAC) to reject the proposals made by the Chattisgarh government to open up the Tara, Parsa East and Kante Basan coal-blocks in the Hasdeo-Arand forest region of the state. The FAC has been deliberating on these proposals for almost eighteen months and has considered them from time to time. On three earlier occasions—January 21st 2010, July 30th, 2010 and October 22nd, 2010—I had concurred with the FAC's recommendation and rejected the proposals. **However, I now disagree with the final recommendations of the FAC for six reasons and have decided to give Stage-I approval for these proposals.**

2. The ***first*** reason for my rejection of the FAC recommendation arises from my understanding that **these three coal-blocks are clearly in the fringe** and actually **not** in the biodiversity-rich Hasdeo-Arand forest region (a "no-go area). They are separated by a well-defined high hilly ridge with drainage into Aten river which flows towards Hariarpur in the opposite direction. It appears to be a totally different watershed. **As long as the mining is restricted to the fringe area and as long as the state government does not come up with fresh applications for opening up the main Hasdeo-Arand area, I am of the opinion that permission can be accorded for Tara, Parsa East and Kante Basan.**

3. The ***second*** reason for my rejection of the FAC recommendation arises from the **substantial changes that have been introduced in the mining plans as originally envisaged**. When the project proponent is prepared to demonstrate some flexibility to accommodate our concerns, I think we should also reciprocate.

8. After taking all factors into account, **I am of the view that permission should be granted to opening the Tara and the Parsa East-Kante Basan coal-blocks as proposed by the Chattisgarh government. While granting this permission I must reiterate that any more opening of coal-blocks in the main Hasdeo-Arand forest area will severely disturb the fragile ecosystem of the region.** Perhaps, the Chattisgarh government could be compensated through some sort of a "green bonus" (either through Additional Central Assistance or through additional allocations of power from the Central pool) for not giving any further permissions for coal mining in the Hasdeo-Arand region. This green bonus policy will, of course, apply to projects in other states as well which may not see the light of day on account of ecological factors.

9. Since the Parsa block of the Chattisgarh State Electricity Board is in between the Tara and the Parsa East-Kante Basan coal-blocks, permission for prospecting only as sought for by the State Government is also hereby accorded. This block should not be worked commercially for at least the next five years till after some reclamation on portions of the two other coal-blocks has commenced in a visible manner.

10. Needless to add, final Stage-II approval will be contingent on the State Government demonstrating full compliance with the provisions of the Forest Rights Act, 2006.

Jairam Ramesh
MOS(I/C)E&F
June 23rd, 2011

वन सलाहकार समिति की सिफारिश पर तत्कालीन मंत्री जयराम नरेश ने खदानों का आबंटन अस्वीकार कर दिया। बाद में उन्होंने ही 6 कारण गिनाते हुए आबंटन स्वीकृत किया।

किसके दबाव में ?

2021

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

RRVUNL हेतु वन भूमि डायवर्शन

कांग्रेस सरकार

परसा ईस्ट एवं केते बासेन

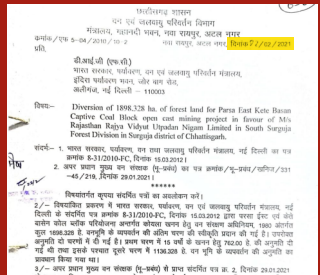

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–04/2010/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/02/2021

प्रति,

डी.आई.जी (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,
अलीगंज, नई दिल्ली – 110003

विषयः– Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East Kete Basan Captive Coal Block open cast mining project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh.

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-31/2010-FC, दिनांक 15.03.2012।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–45/219, ,दिनांक 29.01.2021।

******

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

2/– विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र क्रमांक 8-31/2010-FC, दिनांक 15.03.2012 द्वारा परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल ब्लॉक परियोजना अन्तर्गत कोयला खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत कुल 1898.328 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन की अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त अनुमति दो चरणों में दी गई है। प्रथम चरण में 15 वर्षों के खनन हेतु 762.00 हे. की अनुमति दी गई थी तथा इसके पश्चात दूसरे चरण में 1136.328 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति का प्रावधान किया गया था।

3/– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) से प्राप्त संदर्भित पत्र क्र. 2, दिनांक 29.01.2021 के साथ प्रदायित प्रस्ताव अनुसार आवेदक संस्थान मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/708 दिनांक 13.05.2020 के माध्यम से दूसरे चरण के तहत 1136.00 हे. में खनन कार्य की अनुमति का अनुरोध किया गया है।

4/– यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रस्ताव के साथ प्रेषित परिशिष्ट–1 के पृष्ठ क्र. 2 से 53 में प्रदायित **"Justification for exhaustion of phase-I forest land in 10 years."** में उपलब्ध आवेदक संस्थान के पत्र दिनांक 24.09.2019 में दिये गये वर्णन अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में 762.00 हे. वनभूमि को 15 वर्षो में खनन हेतु दिनांक 15.03.2012 को अनुमति प्रदाय किया गया था। उपरोक्त अनुमति की अवधि वर्ष 2023–2024 में समाप्त होना था किन्तु खनन कि मात्रा प्रति वर्ष 10 **MTPA** से 15 **MTPA** किये जाने (उपरोक्त खनन मात्रा की वृद्धि बाबत् पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा उनके पत्र दि. 10.08.2018 से प्रदाय कि गई है) के फलस्वरूप उक्त खनन क्षेत्र वर्ष 2021 में समाप्त हो जायेगा। उपरोक्त कारण से समय पूर्व दूसरे चरण के तहत 1136.00 हे. में खनन कार्य की अनुमति का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) से अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है ।

5/– भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 15.03.2012 में जारी अंतिम चरण की स्वीकृति में दूसरे चरण की अनुमति हेतु प्रक्रिया का निर्धारण शर्त क्रमांक–8 में अधिरोपित किया गया था जो निम्नानुसार हैः–

8. **The mining shall be done in two phases**
   (i) During phases-I, covering 15 years, the mining shall be restricted to 762.00 ha of forestland.

Scanned with OKEN Scanner

परसा ओपन कास्ट कोल माइन

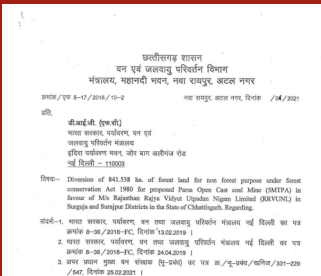

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–17/2018/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /04/2021

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड
नई दिल्ली – 110003

विषयः– Diversion of 841.538 ha. of forest land for non forest purpose under forest conservation Act 1980 for proposed Parsa Open Cast coal Mine (5MTPA) in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL) in Surguja and Surajpur Districts in tha State of Chhattisgarh. Regarding.

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8–36/2018–FC, दिनांक 13.02.2019 ।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8–36/2018–FC, दिनांक 24.04.2019 ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–229/547, दिनांक 25.02.2021 ।

——00——

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है। जिसमें उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

2/– यहां यह उल्लेखनीय है कि, संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से जारी सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त क्रमांक 05 को संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से संशोधित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया :–

"The State Government and the User Agency shall comply with the recommendation made in the Biodiversity Assessment Study to be carried out by Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), Dehradun in consultation with Wildlife Institute of India (WII) Dehradun for the whole Hasdeo-Arand coalfields comprising of Tara, Parsa, Parsa East, Kantebasen etc. Tha State Govenmen Shall submit recommendation of Biodiversity Assessment to MOEF&CC before Stage-II approval for further decision in the Minestry. "

3/– उक्त संशोधित शर्त के पालन में आवेदक संस्थान से Biodiversity Assessment हेतु आवश्यक राशि प्राप्त कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा उनके पत्र दिनांक